आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या -पं0नि0 30-373/2021- 8964

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक 18.12.21

विषय : पंचायत एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन,2021 — नवगठित ग्राम पंचायतों /ग्राम कचहरियों को जिला गजट में अधिसूचित/ प्रकाशित करने ; त्रिस्तरीय पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने तथा उप मुखिया/उप सरपंच, प्रमुख/उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।

उल्लेखनीय है कि निर्वाचन परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 12(4) एवं 90(3) के आलोक में नवगठित ग्राम पंचायतों / ग्राम कचहरी को जिला गजट में अधिसूचित किया जाना है। बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 136 (4) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली के नियम 122 के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी स्तर के निर्वाचित सदस्यों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ दिलाया जाना है। इसके अलावे उप मुखिया/ उप सरपंच; प्रमुख/उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्रवाई पूरी की जानी है ताकि नवनिर्वाचित पदधारी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का संपादन ससमय आरम्भ कर सकें।

2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 14 में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पाँच वर्षों की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी। यही स्थिति धारा 39 के अनुसार पंचायत समिति की कार्यावधि एवं धारा 66 के अनुसार जिला परिषद की कार्यावधि के लिए भी है।

3. वर्ष 2016 में राज्य के पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों के आम चुनाव द्वारा गठित पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों की कार्यावधि जून, 2021 में समाप्त हो गयी है। विदित है कि कोविड-19 महामारी के कारण उक्त निकायों के चुनाव ससमय नहीं कराये जा सके तथा बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 17, 2021) द्वारा यथा संशोधित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के संगत प्रावधानों के आलोक में विघटित पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों के स्थान पर परामर्शी समितियाँ गठित है।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

विदित हो कि पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 4715 दिनांक 24.08.2021 के आलोक में बिहार राज्य में ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच तथा पंच का ग्यारह चरणों में निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके आलोक में निर्वाचन सम्पन्न कराये जा रहे हैं।

4. इस सन्दर्भ में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों को आपके सुलभ प्रसंग हेतु उद्धृत किया जा रहा है :-

ग्राम पंचायत की संरचना के संबंध में अधिनियम की धारा 12(4) के प्रावधान :-

"इस धारा के अधीन गठित प्रत्येक ग्राम पंचायत जिला गजट में अधिसूचित की जाएगी और अपनी पहली बैठक की नियत तिथि से प्रभावी होगी।"

ग्राम कचहरी की संरचना के संबंध में अधिनियम की धारा 90(3) के प्रावधान :-

इस धारा के उपबंधों के अधीन गठित प्रत्येक ग्राम कचहरी को जिला गजट में प्रकाशित किया जाएगा और वह उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से प्रवृत्त होगी।

शपथ एवं प्रतिज्ञान के संबंध में अधिनियम की धारा 136(4) के प्रावधान :-

शपथ एवं प्रतिज्ञान – निर्वाचन के तुरंत बाद पंचायत के सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच या पंच तथा ग्राम पंचायत के मुखिया ऐसे व्यक्ति के समक्ष, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग इस निमित्त नियुक्त करे, शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और यदि पंचायत का ऐसा सदस्य, ग्राम कचहरी का सरपंच या पंच या मुखिया शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने और हस्ताक्षर करने से इनकार अथवा अस्वीकार करे तो उनका पद तत्काल रिक्त समझा जायेगा। निर्वाचन के बाद और ऐसी तारीख से तीन माह के अन्दर जिस तारीख को उसकी पदावधि आरंभ होती हो, यदि पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी का सरपंच या पंच या मुखिया शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने में असफल रहें तो उसका पद उक्त तिथि के बाद रिक्त समझा जायेगा।

शपथ ग्रहण के संबंध में बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 122 के प्रावधान:-

शपथ-ग्रहण –

(1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के अधीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) शपथ-ग्रहण / प्रतिज्ञा करने निमित्त कार्यक्रम निर्धारित करेगा।

(2) ग्राम पंचायत के सदस्य तथा मुखिया एवं ग्राम कचहरी के पंच तथा सरपंच को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरी की प्रथम बैठक के पूर्व शपथ-ग्रहण / प्रतिज्ञा करायेगा।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रथम बैठक में मुखिया तथा सरपंच, क्रमशः उप-मुखिया एवं उप-सरपंच को शपथ-ग्रहण/प्रतिज्ञा करायेगा।

परन्तु मुखिया/ सरपंच की अनुपस्थिति में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी शपथग्रहण/ प्रतिज्ञा करायेगा।

(4) जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जो अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से अन्यून हो, पंचायत समिति के सदस्य , प्रमुख एवं उप-प्रमुख को तथा जिला दंडाधिकारी जिला परिषद् के सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यंक्ष को शपथ -ग्रहण / प्रतिज्ञा करायेगा।

(5) शपथ-ग्रहण/प्रतिज्ञा प्रपत्र 28 में कराया जायेगा।

(6) शपथग्रहण /प्रतिज्ञा करने वाले पदधारकों की सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित की जायेगी ।

<u>उप मुखिया के निर्वाचन के संबंध में अधिनियम की धारा 15 (3) एवं 15 (4) के प्रावधान</u> :-

(3)(i) चुनाव के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपनी प्रथम बैठक में अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के उपबंधों के अधीन चुने गए सदस्यों में से एक उप–मुखिया का चुनाव उनके द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

(ii) उप–मुखिया के चुनाव में ग्राम पंचायत का मुखिया मतदाता होगा ।

(iii) उप–मुखिया के चुनाव में मतों के बराबर होने की स्थिति में परिणाम लौटरी के द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

(4)(i) यदि किसी ग्राम पंचायत में मुखिया एवं उप–मुखिया के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तो संबद्ध पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी इस प्रकार की स्थिति होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर उप–मुखिया के चुनाव हेतु बैठक बुलाएगा, जिसके लिए सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले सूचना दी जाएगी ।

(ii) ऐसी बैठक की अध्यक्षता संबंधित पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी करेगा, परन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(iii) मतों की बराबरी की स्थिति में परिणाम लॉटरी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

<u>उप सरपंच के निर्वाचन के संबंध में अधिनियम की धारा 93 (3) एवं 93 (4) के प्रावधान:-</u>

(3)(i) निर्वाचन के बाद, प्रत्येक ग्राम–कचहरी, अपनी प्रथम बैठक में, इस अध्यादेश की धारा 90 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अधीन निर्वाचित पंचों में से बहुमत द्वारा एक उप–सरपंच का चुनाव करेगी।

(ii) उप–सरपंच के निर्वाचन में ग्राम कचहरी का सरपंच एक मतदाता होगा।

(iii) उप–सरपंच के निर्वाचन में मतों की बराबरी की दशा में परिणाम का विनिश्चय लाटरी द्वारा किया जाएगा।

(4)(i) यदि किसी ग्राम कचहरी में सरपंच और उप–सरपंच का पद एक साथ ही रिक्त हो जाए तो संबद्ध पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी किसी घटना के 15 दिनों के भीतर उप–सरपंच के निर्वाचन के लिए एक बैठक आयोजित करेगा और इसके लिए पंचों को कम–से–कम सात दिनों की नोटिस दी जाएगी।

(ii) संबद्ध पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा किन्तु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

(iii) उप–सरपंच के निर्वाचन में बराबर मत प्राप्त होने की दशा में परिणाम का विनिश्चय लाटरी द्वारा किया जाएगा।

प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचन के संबंध में अधिनियम की धारा 40 (1) के प्रावधानः–

(1) **राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निदेश के अधीन**

(क) धारा–36 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, यथासंभव शीघ्र, अपने बीच से दो सदस्यों को क्रमशः प्रमुख और उप–प्रमुख चुनेंगे;

(ख) और यदि प्रमुख और उप–प्रमुख के पद बाद में रिक्त हो जाएं तो वे यथास्थिति, अपने में से अन्य सदस्य को प्रमुख अथवा उप–प्रमुख चुनेंगेः

परन्तु यह कि ऐसा चुनाव नहीं किया जायेगा यदि रिक्ति एक माह से कम अवधि के लिए हो।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में अधिनियम की धारा 67 (1) के प्रावधान :-

(1) राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में, धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिदिष्ट जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य यथाशीघ्र अपने में से दो सदस्यों को कमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे और यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो वे अपने में से अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे

परन्तु यह कि एक महीने से कम अवधि की रिक्ति के लिए ऐसा कोई निर्वाचन नहीं होगा।

उप मुखिया/उप सरपंच/ प्रमुख तथा उप प्रमुख/ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानः–

87. **निर्वाचन के लिए बैठक** — (1)राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में अधिनियम की धारा 15, 93,40 एवं 67 के अधीन क्रमशः उप-मुखिया एवं उप-सरपंच, प्रमुख एवं उप-प्रमुख तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के निमित्त ग्राम पंचायत तथा ग्राम कचहरी /पंचायत समिति/ जिला परिषद् की बैठक की तिथि, समय और स्थान यथास्थिति प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी तथा जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिसकी सूचना सभी संबंधित सदस्यों को प्रपत्र 24 में दी जायेगी।

परन्तु यह भी कि किसी ग्राम पंचायत/ ग्राम कचहरी में गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत से अधिक स्थान रिक्त हों, तो उन रिक्त पदों को भरने हेतु अधिननियम के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन करा लेने के पश्चात ही उक्त ग्राम पंचायत/ ग्राम कचहरी के उप मुखिया/ उप सरपंच के निर्वाचन हेतु बैठक निर्धारित किया जायेगा।

परन्तु यह कि अगर किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत से अधिक स्थान रिक्त हों, तो उन रिक्त पदों को भरने हेतु अधिनियम के

प्रावधानों के अधीन निर्वाचन करा लेने के पश्चात ही उक्त पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के प्रमुख / उप प्रमुख अथवा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु बैठक निर्धारित की जायेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन विहित तिथि को बुलायी गयी बैठक में सर्वप्रथम यथास्थिति ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों को नियम 126 में विहित प्रक्रिया अनुसार शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञा करायी जाएगी।

नोट :- नियम 87(2) में निर्वाचित सदस्यों को नियम 126 में विहित प्रक्रिया अनुसार शपथ/ प्रतिज्ञा कराने का जिक्र है, त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है। वस्तुतः बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली के नियम 122 में विहित प्रक्रिया के अनुसार शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञा करायी जायेगी।

88. **बैठक की अध्यक्षता** – अनुमंडल दंडाधिकारी पंचायत समिति एवं जिला दंडाधिकारी जिला परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा। ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरी की बैठक की अध्यक्षता प्रखण्ड विकास पदाधिकारी करेगा।

89. **नाम निर्देशन-पत्र दाखिल किया जाना** — प्रत्येक अभ्यर्थी प्रपत्र 25 में नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करेगा। किसी अभ्यर्थी का प्रस्तावक एवं समर्थक, यथास्थिति, ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी/ पंचायत समिति/ जिला परिषद् का कोई सदस्य होगा। एक सदस्य एक ही अभ्यर्थी का प्रस्तावक या समर्थक होगा।

90. **नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा** —(1) अध्यक्ष नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा करेगा।

(2) अध्यक्ष —

(क) उस अभ्यर्थी का नाम जिसका नाम निर्देशन पत्र अविधिमान्य पाया गया है, उसके आधार सहित; तथा

(ख) उस अभ्यर्थी का नाम जिसका नाम निर्देशन-पत्र विधिमान्य पाया गया है, पढकर सुनायेगा।

91. **विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना** —अध्यक्ष देवनागरी लिपि में वर्ण क्रमानुसार विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची बनायेगा तथा उसकी घोषणा करेगा।

92. **निर्विरोध निर्वाचन** — यदि पद के लिए एक ही विधिमान्य अभ्यर्थी हो तो अध्यक्ष उसे सम्यक रूपेण निर्वाचित घोषित करेगा।

93. **सविरोध निर्वाचन** —यदि विधिमान्य अभ्यर्थी एक से अधिक हों तब अध्यक्ष बैठक में उपस्थित सदस्यों का गुप्त मतदान करायेगा और तत्संबंधी प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

94. **मतपत्र** — अध्यक्ष प्रपत्र 26 में मतपत्र तैयार करायेगा। मतपत्र अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

95. **मतदान की प्रक्रिया** — (1) प्रत्येक सदस्य को एक मतपत्र दिया जायगा, जिसमें वह निर्धारित गुप्त रीति से किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने (X) का चिह्न लगाकर अपना मत व्यक्त करेगा।

(2) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित गोपनीय प्रक्रिया का अनुसरण कर ऐसे मतपत्रों को एकत्र किया जायगा।

96. **अविधिमान्य मतपत्र** — कोई मतपत्र अविधिमान्य होगा यदि —

(क) उस पर सदस्य का हस्ताक्षर हो या कोई ऐसा शब्द दृष्टिगत हो जिससे मतदाता पहचाना जा सके या

(ख) उस पर एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने चिह्न लगाया गया हो , या

(ग) उस पर चिह्न इस प्रकार लगाया गया हो कि यह निश्चित नहीं हो सके कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है , या

(घ) उस पर क्रॉस का चिह्न नहीं लगाया गया हो, या,

(ङ) उस पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं हो।

97. **मतगणना** — (1) अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में मतपत्रों की गणना करेगा।

(2) विधिमान्य मतपत्रों की गणना हो जाने पर अध्यक्ष उसका परिणाम प्रपत्र 27 में अभिलिखित करेगा तथा उस अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करेगा जिसे अधिकतम मत प्राप्त हुए हैं।

98. **मत बराबर होना** — यदि मतों की गणना पूरी होने के पश्चात् दो या अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत आये हों, जो अधिकतम हों, तब अध्यक्ष उन अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी निकालेगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉटरी निकलेगी उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ माना जायेगा तथा अध्यक्ष तदनुसार मतगणना का परिणाम घोषित करेगा।

99. **प्रमाण-पत्र दिया जाना** — अध्यक्ष निर्वाचित अभ्यर्थी को प्रपत्र 22 में प्रमाण पत्र देगा।

100. **बैठक की कार्यवाही का अभिलेख तैयार किया जाना** —अध्यक्ष बैठक की कार्यवाही का अभिलेख तैयार करेगा तथा उस पर उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर लेते हुए अपना हस्ताक्षर करेगा।

101. **निर्वाचित व्यक्तियों की सूची का प्रकाशन**— अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्तियों की हस्ताक्षरित सूची, यथास्थिति, ग्राम पंचायत कार्यालय / प्रखंड कार्यालय/ जिला परिषद् कार्यालय में प्रकाशित करेगा।

102. **विधिमान्य-अविधिमान्य मतपत्रों का पैकेट बनाया जाना**— अध्यक्ष विधिमान्य मतपत्रों तथा अविधिमान्य मतपत्रों के अलग-अलग पैकेट बनायेगा, प्रत्येक पैकेट को सीलबंद करेगा और उस पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का विवरण, संबंधित निर्वाचन तथा उसकी तारीख अंकित करेगा।

103. **निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन तथा निरीक्षण** — अभिरक्षा में रखे हुए निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन एवं निरीक्षण अधिनियम में विहित न्यायालय/प्राधिकारी के आदेश से ही किया जा सकेगा।

104. **निर्वाचन संबंधी अभिलेखों की अभिरक्षा एवं विनष्टीकरण** — (1) जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियम 103 में निर्दिष्ट पैकटों को अभिरक्षा में रखेगा।

(2) निर्वाचन अभिलेख एक वर्ष की कालावधि तक या किसी विधिक कार्यवाही के लंबित रहने की कालावधि तक अभिरक्षा में रखे जायेंगे और तत्पश्चात् आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निदेश के अध्यधीन रहने के पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जायगा।

5. आयोग द्वारा विभिन्न जिलों के लिए निर्धारित कार्यक्रम के आलोक में पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के पदों के लिए कराए गए निर्वाचन के सभी परिणाम दिनांक 15.12.2021 तक प्राप्त हो जायेंगे। उक्त परिप्रेक्ष्य में विषयान्तर्गत बिन्दुओं पर आयोग का निम्न दिशा निदेश संसूचित किया जा रहा है :-

(1) **ग्राम पचांयत /ग्राम कचहरी का जिला गजट में प्रकाशन:**

निर्वाचन परिणाम का जिला गजट में प्रकाशन का प्रावधान नियमावली के नियम 83 में तथा शपथ-ग्रहण का प्रावधान नियम 122 में किया गया है, जो निम्नवत् है :-

"**नियम 83 – निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन** – जिला निर्वाचन पदाधिकारी विधिवत निर्वाचित व्यक्तियों की सूची प्रपत्र-23 में जिला गजट में प्रकाशित करायेगा तथा उसकी एक-एक प्रति आयोग एवं निदेशक, पंचायत राज विभाग को भेजेगा।

नियम 122 – शपथ-ग्रहण – (1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के अधीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) शपथ-ग्रहण/ प्रतिज्ञा करने निमित्त कार्यक्रम निर्धारित करेगा।"

उक्त आलोक में आयोग के पत्रांक 6194 दिनांक 29.10.2021 में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रपत्र-23 में दिनांक 18.12.2021 तक जिला गजट प्रकाशित करने का निदेश देये गये हैं।

(2) ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी के निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण तथा उप मुखिया/उप सरपंच का निर्वाचन :

ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच तथा पंच पद से निर्वाचित सदस्यों को बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के प्रपत्र 28 में शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान कराया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत सदस्य/ ग्राम पंचायत मुखिया/ ग्राम कचहरी सरपंच/ पंच को प्रपत्र-28 में शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञा कराएगा।

साथ ही पंचायती राज विभाग के पत्रांक 6759 दिनांक 23.11.2021 के आलोक में राज्य में नशा विमुक्ति अभियान के तहत सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुये उन्हें पदाय शपथ ग्रहण के साथ-साथ नशा विमुक्ति का भी शपथ-ग्रहण संलग्न प्रपत्र के अनुसार कराना सुनिश्चित की जाय। शपथ-पत्र की हस्ताक्षरित प्रति सुरक्षित रूप से सीलबन्द लिफाफे में रखकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के पास सुरक्षित रखी जायेगी।

चूँकि एक प्रखण्ड/ पंचायत समिति के अंतर्गत कई ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरी होंगी, **इसलिए यह आवश्यक है कि जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड में पदस्थापित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी के अतिरिक्त अनुमंडल/ जिला मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को भी शपथ ग्रहण कराने हेतु प्राधिकृत किया जाए ताकि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर सभी ग्राम पंचायत सदस्य/ मुखिया/सरपंच/पंच को शपथ ग्रहण/ प्रतिज्ञा कराने का कार्यक्रम संपन्न हो सके।**

शपथ ग्रहण करा लेने के तुरंत पश्चात ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को यथास्थिति उप मुखिया/ उप सरपंच के लिए चुना जाएगा। उप मुखिया के चुनाव में ग्राम पंचायत का मुखिया तथा उप सरपंच के चुनाव में ग्राम कचहरी का सरपंच भी मतदाता होगा। बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 6 के आलोक में उप मुखिया/ उप सरपंच के निर्वाचन हेतु ग्राम पंचायत/ ग्राम कचहरी के बैठक की तिथि, समय और स्थान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिसकी सूचना सभी संबंधित सदस्यों को यथाआवश्यक परिवर्तनों के साथ (mutatis mutandis) प्रपत्र 24 में उचित समय पर, **जो निर्वाचन की तिथि से पूरे 3 (तीन) दिन पूर्व सूचना दी जाएगी।** नियमावली के नियम 88 से 102 के आलोक में अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति उपमुखिया/ उप सरपंच के निर्वाचन की कार्रवाई की जाएगी। नामांकन पत्र प्रपत्र 25 में प्राप्त किया जाएगा। यदि उप मुखिया/ उप सरपंच के चुनाव में मतों की गणना पूरी होने के पश्चात दो या अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत आए हों, जो अधिकतम हों, तब अध्यक्ष उन अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी निकालेगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉटरी निकलेगी उसे एक अधिक मत प्राप्त हुआ माना जाएगा तथा अध्यक्ष तद्नुसार मतगणना का परिणाम घोषित करेगा। निर्वाचित अभ्यर्थी को अध्यक्ष द्वारा प्रपत्र 22 में प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के सभी जिलों में संलग्न कार्यक्रम के अनुसार उप मुखिया/उप सरपंच का निर्वाचन निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाए। उक्त आलोक में शपथ ग्रहण कराने एवं उप मुखिया / उप सरपंच का निर्वाचन कराने हेतु जिला पदाधिकारी अपने स्तर पर विस्तृत कार्यक्रम नियत कर संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी को तद्नुसार कार्रवाई करने का निदेश देंगे। उक्त कार्यक्रम की एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित की जाएगी।

(3) पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण एवं पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन :-

पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत गजट अधिसूचना संख्या 638, 639 दिनांक 31.08.2010 (संलग्न) से विस्तृत

दिशा-निर्देश दिये गये हैं जिनका अनुपालन इस बार पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किया जाना अनिवार्य होगा।

(*i*) पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा तथा जिला परिषद के अध्यक्ष /उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु संबंधित जिला दंडाधिकारी द्वारा तिथि, समय और स्थान निर्धारित किया जाएगा तथा इसकी सूचना यथास्थिति पंचायत समिति/ जिला परिषद् के सभी निर्वाचित सदस्यों को प्रपत्र 24 में उचित समय पर जो क्रमशः बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 16 एवं 28 के आलोक में **निर्वाचन की तिथि से पूरे 7 (सात) दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। बैठक में भाग लेने की सूचना केवल निर्वाचित सदस्यों को ही दी जाएगी, पदेन सदस्यों को नहीं।**

(*ii*) इस बैठक में सर्वप्रथम यथास्थिति अनुमंडल दंडाधिकारी/ जिला दंडाधिकारी द्वारा पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों/ जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों को प्रपत्र 28 में शपथ ग्रहण कराया जाएगा तथा संलग्न प्रपत्र के अनुसार राज्य में नशा विमुक्ति अभियान के तहत पदीय शपथ ग्रहण के साथ-साथ नशा विमुक्ति का भी शपथ-ग्रहण कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके तुरंत बाद नियमावली के नियम 88 से 102 के आलोक में प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा।

(*iii*) प्रमुख एंव उप प्रमुख के लिए अलग-अलग प्रपत्र-25 में नामांकन पत्र लिए जाएंगे। पहले प्रमुख के पद के लिए नामांकन लिया जाएगा तथा निर्वाचन कराया जाएगा। प्रमुख का निर्वाचन परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात उप प्रमुख के लिए नामांकन पत्र प्राप्त किया जाएगा तथा प्रमुख के निर्वाचन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही उसका निर्वाचन कराया जाएगा।

(*iv*) इसी प्रकार जिला परिषद् के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए भी अलग-अलग नामांकन पत्र लिए जाएंगे। पहले अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन लिया जाएगा तथा निर्वाचन कराया जाएगा। अध्यक्ष का निर्वाचन परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात उपाध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र प्राप्त किया जाएगा तथा अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु अपनायी गई प्रक्रिया के अनुसार ही उसका निर्वाचन कराया जाएगा।

(*v*) पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार के प्रस्तावक/ समर्थक के संबंध में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

(1) पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख पद के अभ्यर्थी का प्रस्तावक संबंधित पंचायत समिति का कोई सदस्य तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पद के अभ्यर्थी का प्रस्तावक संबंधित जिला परिषद् का कोई सदस्य ही हो सकता है।

(2) पंचायत समिति के सदस्य यदि वे स्वयं प्रमुख पद के उम्मीदवार हैं तो वे किसी दूसरे सदस्य जो प्रमुख पद के उम्मीदवार हैं, के प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार जिला परिषद् के सदस्य यदि वे स्वयं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं तो वे किसी दूसरे सदस्य जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं , के प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं।

(3) कोई भी सदस्य किन्हीं दो विभिन्न सदस्यों जो एक ही पद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा प्रमुख या उप प्रमुख के उम्मीदवार हैं, के प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं अर्थात कोई भी सदस्य किसी पद विशेष के एक उम्मीदवार का ही प्रस्तावक हो सकता है।

(4) उसी प्रकार पंचायत समिति के उप प्रमुख या जिला परिषद् के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार किसी दूसरे सदस्य जो उप प्रमुख या उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, के प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं।

(*vi*) निर्वाचित अभ्यर्थियों को अध्यक्ष द्वारा प्रपत्र 22 में प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(*vii*) स्पष्ट किया जाता है कि प्रमुख /उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए

बुलाई गई बैठक में विचारार्थ सिर्फ दो ही मुद्दे होंगे , यथा (क) निर्वाचित सदस्यों को शपथ/ प्रतिज्ञा कराना तथा (ख) यथास्थिति प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराना । उक्त बैठक के लिए अन्य कोई भी मुद्दा विचारणीय नहीं रखा जाएगा।

(*viii*) यह संभव है कि निर्वाचित सदस्य के साथ उनके रिश्तेदार या राज्य के मंत्री / सांसद/ विधायक/ अन्य राजनैतिक नेता भी उनके साथ जहाँ बैठक बुलाई गई है, वहाँ आएं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति जो यथास्थिति पंचायत समिति/ जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, बैठक हॉल के इर्द -गिर्द भी नहीं आने पाएं। ऐसे व्यक्तियों को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख/उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन की स्वच्छता बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि सभी निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पसन्द के उम्मीदवार के पक्ष में मत डालें। प्रमुख और अध्यक्ष के चुनाव में दबंग प्रत्याशियों द्वारा धनबल एवं बाहुबल का प्रयोग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर उक्त पदों के निर्वाचन हेतु सूचना निर्गत किए जाने के पश्चात जिला दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी को संपुष्ट जानकारी प्राप्त होती है कि उक्त पदों के किसी उम्मीदवार द्वारा अपने पक्ष में मतदान कराने अथवा अपने प्रतिद्वन्दी के विरोध में मत डालने के लिए सदस्यों को दुष्प्रेरित किया जा रहा है अथवा धनबल या बाहुबल का सहारा लिया जा रहा है, तो वे अविलंब इसका संज्ञान लेगे तथा जाँच-पड़ताल के पश्चात बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 एवं भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं के अधीन ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक हॉल के अन्दर किसी सदस्य द्वारा अव्यवस्था फैलाने तथा तनाव पैदा करने की स्थिति में उन्हें हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा तथा गिरफ्तार भी किया जाएगा। आयोग की मंशा है कि प्रमुख/उप प्रमुख तथा अध्यक्ष /उपाध्यक्ष का निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हो। इस उद्देश्य से पूरे निर्वाचन प्रक्रिया की वीडियों रिकॉर्डिंग भी अवश्य कराई जाए।

प्रमुख/उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के क्रम में निर्वाचित सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में आये वाहन एवं लोग सामान्य रूप से कानून एवं व्यवस्था से संबंधित गंभीर समस्या पैदा करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए निर्वाचित सदस्य के अतिरिक्त उनके साथ आये किसी भी व्यक्ति (अशक्त एवं निरक्षर मतदाता के सहयोग हेतु आये हुए व्यक्ति को छोड़कर) को निर्वाचन हेतु चिह्नित/चयनित भवन से 100 मीटर की परिधि के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु 100 मीटर की परिधि का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाना चाहिए। निर्वाचन हेतु चिह्नित स्थल/परिसर में दंडाधिकारी के साथ एक पुलिस पदाधिकारी जो पुलिस निरीक्षक अथवा उप-पुलिस अधीक्षक के स्तर के हों, को अनाधिकृत व्यक्ति एवं वाहनों सहित विधि-व्यवस्था को नियमित करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाये। 100 मीटर की परिधि जहाँ समाप्त हो रही है, वहाँ चिह्नित रास्तों पर आवश्यकतानुसार चेक नाका/ ड्रॉपगेट स्थापित किया जायेगा जहाँ दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाय। ऐसे चेक नाका/ड्रॉपगेट पर भी एक वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति की जायेगी, जो लगातार सभी घटनाक्रमों की वीडियोग्राफी करना सुनिश्चित की जाय।

(*ix*) संभव है कई निर्वाचित सदस्यों को यथास्थिति प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो। अतएव प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के निर्वाचन के पहले उपस्थित सभी सदस्यों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी/ प्रशिक्षण अनुमंडल पदाधिकारी तथा आपके द्वारा दी जानी चाहिए। उन्हे प्रपत्र 25 (नाम निर्देशन पत्र) तथा प्रपत्र 26 (मतपत्र) की एक खाली

प्रति दी जाएगी तथा जानकारी दी जाएगी कि नाम निर्देशन पत्र में क्या-क्या अंकित करना है। उन्हे यह भी जानकारी दी जाएगी कि मतपत्र में अंकित अभ्यर्थियों में से अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम में किस प्रकार से क्रॉस चिह्न लगाया जाएगा। उनकी सुविधा के लिए मतपत्र में ऐसे काल्पनिक नाम अंकित किए जाएंगे जो निर्वाचित सदस्यों में से किसी का न हो और उन्हें समझा दिया जाएगा कि वे यदि अभ्यर्थी "क" के पक्ष में वोट देना चाहते हैं तो उनके नाम के सामने अंकित स्थान में क्रॉस चिह्न लगाएं। क्रॉस चिह्न किस प्रकार लगाया जाएगा, इसका प्रदर्शन (demonstration) ब्लैकबोर्ड या कागज के पन्ने के माध्यम से कराया जा सकता है।

(*x*) निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण तथा संदर्भित पदों के निर्वाचन हेतु बुलाई जा रही बैठक का कार्यक्रम जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि सर्वप्रथम शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञा की प्रक्रिया पूरी हो जाए और उसी दिन कुछ समय के अंतराल के बाद निर्वाचन से संबंधित कार्रवाई प्रारंभ की जाए। बैठक का समय इस प्रकार विभक्त किया जाए ताकि निर्वाचन प्रक्रिया उसी दिन निश्चित रूप से पूरी हो जाए।

(*xi*) प्रपत्र 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था जिला स्तर पर की जाएगी तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इन्हें आवश्यक संख्या में संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. यह संभव है कि एक उम्मीदवार एक से अधिक पदों पर चुने गए हों। इस परिस्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को चुने गए सभी पदों पर शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञा कराया जाएगा। परन्तु उन्हें शपथ ग्रहण के 15 दिनों के अन्दर निर्वाचित एकाधिक पदों में से किसी एक विशेष पद पर बने रहने की इच्छा की लिखित सूचना जिला दंडाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (जो लागू हो) को देनी होगी और तद्नुसार शेष पदों पर उनका निर्वाचन स्वतः समाप्त हो जाएगा।

7. उप मुखिया/उप सरपंच, प्रमुख/उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु बुलाई गई बैठक में भाग लेने वाले उपस्थित सभी निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति ली जाएगी तथा बैठक की कार्यवाही अंकित की जाएगी जिसपर बैठक के अध्यक्ष सहित सभी उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा।

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि उपर्युक्त बैठकों के लिए जो नोटिस जारी की जाएगी उसमें बैठक की तिथि, समय और स्थान स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो ताकि किसी भी सदस्य को बैठक में भाग लेने में किसी प्रकार की भ्रान्ति न होने पाए।

उप मुखिया/उप सरपंच के शपथ ग्रहण एवं निर्वाचन हेतु बैठक प्रखण्ड मुख्यालय में प्रखण्ड कार्यालय अथवा अन्य उपयुक्त भवन में, प्रमुख/उप प्रमुख के शपथ-ग्रहण एवं निर्वाचन हेतु बैठक अनुमंडल मुख्यालय में अनुमंडल कार्यालय अथवा अन्य उपयुक्त भवन/परिसर में तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण एवं निर्वाचन हेतु बैठक जिला मुख्यालय में उपयुक्त भवन/परिसर में आयोजित की जाएगी। संबंधित स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाएगी।

8. उप मुखिया/उप सरपंच, प्रमुख/उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में सदस्य के निरक्षर होने के स्थिति में उनके द्वारा मताधिकार का प्रयोग निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

(1) निरक्षर निर्वाचित सदस्यों को उनके द्वारा मताधिकार के प्रयोग में सहायतार्थ उनकी इच्छानुसार एक अवयस्क व्यक्ति, जिनपर उन्हें पूर्ण विश्वास हो, साथ रखने की अनुमति दी जाएगी।

(2) ऐसा अवयस्क व्यक्ति संबंधित निरक्षर उम्मीदवार को यथास्थिति उप मुखिया/ उप सरपंच, प्रमुख/

उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद के लिए बनाए गए मतपत्रों में अंकित उम्मीदवारों का नाम पढ़कर उन्हें बताएगा तथा उनकी इच्छानुसार अभ्यर्थी के नाम के सामने क्रॉस का चिह्न लगाकर मताधिकार का प्रयोग करने में सहायता प्रदान करेगा।

9. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136 (4) में शपथ एवं प्रतिज्ञान के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। **जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने जिले के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को आम सूचना प्रकाशित कर यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए कि संबंधित पदों के लिए शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार अथवा अस्वीकार करने की स्थिति में उनका पद तत्काल रिक्त समझा जाएगा, अत: विहित प्राधिकारी द्वारा नियत समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर शपथ ग्रहण अवश्य कर लिया जाए। निर्वाचित प्रतिनिधियों को आम सूचना के द्वारा यह भी स्प्ष्ट कर दिया जाना चाहिए कि अपने निर्वाचन की तिथि के तीन महीने की अवधि के अन्दर शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने में असफल रहने पर उनका पद उक्त तिथि के बाद रिक्त समझा जाएगा।**

10. सभी जिलों में प्रमुख/उप प्रमुख तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष /उपाध्यक्ष के पदों पर निर्वाचन पत्र के साथ संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे।

अनुरोध है कि उक्त आलोक में पंचायत समिति/ जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने एवं पंचायत समितियों के प्रमुख/उप प्रमुख तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष /उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न कराने की कार्रवाई की जाए।

11. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के आलोक में पंचायत समिति के प्रमुख एवं जिला परिषद् के अध्यक्ष पदों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2016 के अवसर पर अनुमोदित एवं संसूचित आरक्षण के अनुसार ही संपन्न कराया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट कर देना प्रासंगिक है कि जिला परिषद के अध्यक्ष/पंचायत समिति प्रमुख का पद जिस कोटि के लिए आरक्षित है, उस पद पर अनारक्षित पदों से निर्वाचित उसी कोटि के अन्य सदस्य भी अभ्यर्थी बन सकते हैं। अध्यक्ष द्वारा मांगे जाने पर कोटि विशेष के दावों के संबंध में जाति प्रमाण पत्र या अन्य साक्ष्य उन्हें उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।

स्पष्ट किया जाता है कि उप मुखिया/ उप सरपंच/ उप प्रमुख/उपाध्यक्ष के पदों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है।

12. उपर्युक्त निदेशों को तैयार करने में अधिनियम / नियमावली के प्रावधानों को आधार बनाया गया है, परन्तु जहाँ कही आयोग के निदेश एवं अधिनियम/ नियमावली के संगत प्रावधानों में कोई भिन्नता अथवा विरोधाभास नजर आए अथवा कोई भ्रम उत्पन्न हो, वहाँ अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप ही कार्रवाई करना कृपया सुनिश्चित करेंगे।

13. आयोग का मानना है कि उपर्युक्त दिशा-निदेशों का सम्यक अनुपालन करने पर सामान्यतया विवाद उत्पन्न नहीं होने चाहिए, फिर भी प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए किए गए निर्वाचन में पंचायत निर्वाचन 2011 के निर्वाचन में आयोग में ऐसे परिवाद पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह परिलक्षित होता है कि उक्त पदों के निर्वाचन के संदर्भ में कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट करने तथा अतिरिक्त मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है।

14. आयोग में प्राप्त परिवाद पत्रों की प्रकृति निम्न प्रकार है :-

(1) अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन हेतु बैठक की सूचना (प्रपत्र 24) में दिए गए समय के बाद उपस्थित होने वाले सदस्यों को भी बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई है ।

(2) पंचायत समिति / जिला परिषद् के किसी सदस्य/ सदस्यों को बाहुबलियों द्वारा बैठक में भाग लेने से जबरन रोका गया है ताकि वह किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष अथवा विपक्ष में मतदान नहीं कर सके।

(3) किसी सदस्य को धमकी अथवा प्रलोभन दिया गया है कि वह प्रत्याशी विशेष के पक्ष में ही मतदान करे।

(4) मतपत्र में प्रत्याशी के नाम के सामने वाले स्तम्भ में "X" का चिह्न नहीं लगाकर प्रत्याशी के नाम पर अथवा उसके बगल में "X" चिह्न लगा दिया गया है तथा ऐसे मतपत्रों को मतगणना के समय अध्यक्ष द्वारा अविधिमान्य (invalid) घोषित कर दिया गया है।

(5) अध्यक्ष अथवा बैठक में उपस्थित किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से निर्वाचन का संचालन किसी प्रत्याशी विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है।

(6) पुनर्गणना के अनुरोध को अध्यक्ष द्वारा ठुकरा दिया गया है एवं निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिया गया है।

(7) मतों के बराबर होने की स्थिति में लॉटरी निकालने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रखी गई है।

(8) निरक्षर सदस्य को उसके मताधिकार के प्रयोग में सहायतार्थ किसी अवयस्क आदमी को नहीं देकर वयस्क आदमी को दिया गया है, जिसने उसकी इच्छा के विपरीत मतदान किया है।

15. उक्त परिप्रेक्ष में आयोग का निम्न दिशा-निदेश संसूचित किया जाता है :-

(1) बैठक आरम्भ होने का जो समय सूचना पत्र (**प्रपत्र 24**) में अंकित किया गया है, उसके बाद एक घंटे के भीतर आने वाले निर्वाचित सदस्यों को बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाएगा, किन्तु चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया आरम्भ हो जाने के पश्चात, विलम्ब से आने वाले किसी भी सदस्य को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) अगर बैठक आरम्भ होने के पूर्व यथास्थिति अनुमंडल दंडाधिकारी/ जिला दंडाधिकारी को यह सूचना प्राप्त होती है कि किसी सदस्य अथवा सदस्यों को बैठक में आने से बलपूर्वक रोका जा रहा है, तो यथासंभव उक्त सूचना के सत्यापन हेतु त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भी संभव है कि कुछ सदस्य अपनी इच्छा से बैठक में नहीं आना चाहते हों। अतः ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के पूर्व अत्यधिक सतर्कता एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सूचना संपुष्ट हो जाने पर आरोपित व्यक्तियों के विरूद्ध जिला दंडाधिकारी / अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(3) अगर किसी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा बैठक में यह लिखित शिकायत की जाती है कि उनपर किसी प्रत्याशी के पक्ष अथवा विपक्ष में मतदान करने हेतु दबाब बनाया गया है, तो निर्वाचन की प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात आरोपित व्यक्ति के विरूद्ध संगत वैधानिक प्रावधानों के अधीन कार्रवाई करने का निदेश अध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा, भले ही वह प्रत्याशी चुनाव जीत जाए अथवा हार जाए।

(4) मतों की गिनती सभी सदस्यों के समक्ष की जाएगी। जो सदस्य मतपत्र दोबारा देखना चाहें, उन्हें अध्यक्ष द्वारा मतपत्र दिखलाया जा सकेगा पर किसी भी स्थिति में मतपत्र उनके हाथ में नहीं दिया जाएगा। अगर किसी मतपत्र में "X" का निशान प्रत्याशी के नाम के सामने विहित स्तम्भ में अंकित नहीं कर प्रत्याशी के नाम पर या उसके बगल में अंकित कर दिया गया है, तथा जिससे यह स्पष्ट होता है कि मतदाता ने उसके पक्ष में मतदान किया है , तो ऐसे मतों को अविधिमान्य (invalid) नहीं मानकर विधिमान्य (valid) माना जाएगा। किन्तु अगर "X" का चिह्न इस प्रकार लगाया गया हो कि यह निश्चित नहीं हो सके कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है या

"X" का चिह्न एक से अधिक प्रत्याशी के नाम पर या उसके सामने लगाया गया है या "X" का चिह्न कहीं नहीं लगाया गया है, तो ऐसे मतपत्रों को अविधिमान्य कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी तर्क की गुंजाईश नहीं होगी।

(5) अगर मतों की गणना के पश्चात कोई प्रत्याशी पुनर्गणना का अनुरोध करता है तो उसे तुरंत मान लिया जाना चाहिए तथा सभी सदस्यों के समक्ष पुनर्गणना करा देनी चाहिए। **दोबारा पुनर्गणना का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

(6) बैठक **हॉल में सी.सी.टी.वी. की व्यवस्था** की जाय ताकि हॉल के गतिविधि का रिकॉर्डिंग हो सके।

(7) निर्वाचन संबंधी **सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुये की जायेगी।

(8) **लॉटरी निकालने की प्रक्रिया** निम्नवत पूरी की जायेगी :-

(i) सर्वप्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी (यथास्थिति अनुमंडल दंडाधिकारी अथवा जिला दंडाधिकारी) द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों/प्रत्याशियों को **संलग्न प्रपत्र** में सूचना देकर यह बतलाया जाएगा कि फलांफलां प्रत्याशियों को बराबर-बराबर मत (मतों की संख्या अंकित की जाएगी)प्राप्त होने के कारण लॉटरी द्वारा परिणाम निकालने की कार्रवाई तुरंत शुरू की जा रही है। सूचना पत्र पर सभी उपस्थित सदस्यों/प्रत्याशियों का हस्ताक्षर ले लिया जाएगा।

(ii) लॉटरी के लिए सफेद कागज की पर्ची का प्रयोग किया जाएगा। पर्ची के कागज का साईज ए-4 साईज के कागज का चौथाई हिस्सा (1/4 वां) होगा। प्रत्येक पर्ची समान साईज की होगी। साईज में तनिक भी अंतर नहीं होगा। पर्ची बिल्कुल सादी (blank) होगी तथा सादी पर्ची उपस्थित सभी सदस्यों/प्रत्याशियों को अध्यक्ष द्वारा दिखला दी जाएगी ताकि यह संदेह न हो कि पर्ची पर पहले से कुछ लिखा हुआ है। प्रत्येक पर्ची पर अध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रत्याशी का नाम काले रंग से स्केच पेन से लिखा जाएगा तथा प्रत्येक पर्ची पर निचले हिस्से में तिथि सहित अपना हस्ताक्षर किया जाएगा। जितने प्रत्याशियों के बीच लॉटरी निकाली जानी है, पर्ची की संख्या उतनी ही रखी जाएगी। अर्थात अगर दो प्रत्याशियों को समान संख्या में मत मिले हों, तो उन दोनों के बीच लॉटरी निकालने हेतु मात्र दो पर्चियों और अगर तीन प्रत्याशियों को समान मत मिले हों तो लॉटरी निकालने हेतु मात्र तीन पर्चियों का उपयोग किया जाएगा। दो प्रत्याशियों के मामले में एक पर्ची पर पहले प्रत्याशी का नाम एवं दूसरी पर्ची पर दूसरे प्रत्याशी का नाम अध्यक्ष द्वारा लिखा जाएगा। इसी प्रकार तीन प्रत्याशियों के मामले में तीन अलग-अलग पर्ची पर पहले, दूसरे एवं तीसरे प्रत्याशी का नाम लिखा जाएगा। पर्चियों में नाम लिखने के पश्चात अध्यक्ष द्वारा सभी पर्चियां उपस्थित सदस्यों /प्रत्याशियों को प्रदर्शित की जाएंगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रत्येक पर्ची में अलग-अलग प्रत्याशी के नाम अंकित हैं, किसी एक प्रत्याशी का नाम दो या अधिक पर्चियों में अंकित नहीं किया गया है। पर्चियों का प्रदर्शन कर देने के पश्चात अध्यक्ष प्रत्येक पर्ची को चार फोल्ड में मोड़कर वहाँ उपस्थित किसी सदस्य को, **जो प्रत्याशी नहीं होगा**, उन पर्चियों को वहाँ विशेष रूप से रखे गए एक छोटे अपारदर्शी डिब्बे में रखने हेतु कहेगा। डिब्बे में पर्चियों को रखे जाने के पहले डिब्बा सभी सदस्यों / प्रत्याशियों को दिखला दिया जाएगा कि वह पूर्णतः खाली है एवं उसमें पहले से कोई पर्ची आदि नहीं रखी हुई है। डिब्बे में पर्चियों को रख देने के पश्चात उस सदस्य द्वारा डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा।

(iii) लॉटरी के लिए पर्ची निकालने हेतु ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो पर्ची बनाए जाने , उस पर नाम लिखे जाने, फोल्ड करने तथा डिब्बे में बंद किए जाने के समय वहाँ मौजूद नहीं रहा हो। **स्पष्टतः वह व्यक्ति अध्यक्ष अथवा बैठक कक्ष में मौजूद कोई सदस्य या प्रत्याशी नहीं होगा।** लॉटरी निकालने हेतु अध्यक्ष अपने कार्यालय के किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को पूर्व से नामित कर देगा तथा उसे पर्ची बनाने तथा फोल्ड करने के पूर्व बाहर रहकर प्रतीक्षा करने को कहेगा।

(iv) डिब्बे में पर्चियों के बंद हो जाने के पश्चात उस नामित व्यक्ति को अंदर बुलाया जाएगा तथा उसे अध्यक्ष द्वारा कहा जाएगा कि वह डिब्बे को अच्छी तरह हिलाकर उसे खोले एवं उसमे से कोई एक पर्ची बाहर निकाले।

(v) नामित व्यक्ति अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों /प्रत्याशियों के समक्ष डिब्बे में से कोई एक पर्ची बाहर निकालकर उसे खोलेगा, उसमें अंकित नाम को जोर से पढ़ेगा ताकि सभी सुन लें तथा पर्ची को अध्यक्ष को सौंप देगा। अध्यक्ष उस पर्ची के नीचे निर्वाचित लिख कर तिथि एवं समय सहित पुनः अपना हस्ताक्षर करेगा तथा उस प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित करते हुए निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।

(vi) निर्वाचन परिणाम घोषित कर देने के पश्चात सभी पर्चियों को अध्यक्ष द्वारा एक लिफाफे में सीलबन्द कर निर्वाचन अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।

(vii) पर्ची बनाने से लेकर निर्वाचन परिणाम घोषित करने तक की **पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी तथा इसे अभिलिखित भी किया जाएगा। कार्यवाही के अंत में उस पर अध्यक्ष के साथ-साथ लॉटरी निकालने वाले व्यक्ति तथा उपस्थित सदस्यों /प्रत्याशियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।**

(viii) किसी भी स्थिति में लॉटरी निकालने का काम स्थगित नहीं किया जाएगा। **लॉटरी के परिणाम से व्यथित व्यक्ति/व्यक्तियों को दोबारा लॉटरी निकालने की माँग करने का अधिकार नहीं होगा, और अगर ऐसा कोई अनुरोध फिर भी किया जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उसे तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

(9) पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि मतदाता के निरक्षर रहने की स्थिति में उनके मताधिकार के प्रयोग में सहायतार्थ **उसकी इच्छानुसार** एक अवयस्क व्यक्ति (पुरूष या स्त्री) साथ रखने की अनुमति दी जाएगी जो उसे (मतदाता को) मतपत्र में अंकित उम्मीदवारों का नाम पढ़कर सुनाएगा तथा उसकी इच्छानुसार प्रत्याशी के नाम के सामने "X" का चिह्न लगाएगा। यह सुनिश्चित करना अध्यक्ष की जबाबदेही है कि संबंधित मतदाता के साथ जाने वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति में वयस्क नहीं हो, भले ही वह उसका पुत्र/पुत्री अथवा अन्य विश्वस्त व्यक्ति हो। अगर अध्यक्ष की दृष्टि में निरक्षर मतदाता का सहयोगी वयस्क व्यक्ति है, तो उसे मतदाता के साथ मतदान प्रकोष्ठ में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तथा उसे किसी अवयस्क व्यक्ति को लाने कहा जाएगा अन्यथा उसे मताधिकार का प्रयोग बिना किसी सहयोगी के करना होगा।

उपर्युक्त शर्तें किसी अंधे अथवा शारीरिक रूप से अशक्त मतदाता के संबंध में भी लागू होंगी।

(10) प्रमुख/उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची, मतपत्र निर्गत करने तथा मतगणना करने, मतपत्रों को अविधिमान्य घोषित करने तथा परिणाम घोषित करने बैठक की कार्यवाही का अभिलेख तैयार करने आदि की पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्ष को सौंपी गई है। ये सारे कार्य अध्यक्ष अकेले नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने सहायतार्थ एक या दो अधिकारियों को रखने की जरूरत हो सकती है। **ये अधिकारी ऐसे होने चाहिए जो विवादित नहीं हों तथा स्वच्छ छवि रखते हों।**

प्रमुख के चुनाव में अध्यक्ष (अनुमंडल दंडाधिकारी) के सहायतार्थ उस प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी या अन्य किसी पदाधिकारी/कर्मचारी को किसी भी स्थिति में नहीं लगाया जाएगा; अध्यक्ष अपने अनुमंडल अथवा दूसरे प्रखण्डों में पदस्थापित अधिकारियों को अपनी सहायता करने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे। प्रमुख/उप प्रमुख का निर्वाचन अनुमंडल दंडाधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है और एक दिन में एक प्रखंड अथवा दो प्रखंडों का ही चुनाव कराना व्यवहारिक रूप से संभव है। ऐसी स्थिति में किसी प्रखंड विशेष में चुनाव के दिन अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत दूसरे प्रखंड के अधिकारियों/कर्मियों की सेवा प्राप्त करने में अनुमंडल दंडाधिकारी को कोई कठिनाई नहीं होगी।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के चुनाव में जिला दंडाधिकारी अपने सहायतार्थ ऐसे अधिकारियों/कर्मियों को रख सकेंगे जो जिला परिषद् से संबंधित नहीं हों, अर्थात जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अथवा जिला अभियंता अथवा अन्य पदाधिकारी /कर्मी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्त नहीं किए जाएंगे।

जिस कक्ष में निर्वाचन संबंधी बैठक चल रही हो, वहाँ कोई पुलिस पदाधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे। विधि व्यवस्था के संधारण हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी / आरक्षी बल बैठक कक्ष के बाहर रहेंगे तथा असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा आदेश दिए जाने पर ही बैठक कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।

16. सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रमाण-पत्र निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम के सामने आयोग के पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय।

17. शपथ-पत्र (पदीय कर्त्तव्य एवं नशा मुक्ति), उप मुखिया/उप सरपंच, प्रमुख/उप प्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात निर्वाचन प्रमाण-पत्र (प्रप्रत्र-22) एवं शपथ-पत्र (प्रपत्र-28) एवं बैठक की कार्यवाही की प्रति आयोग के पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय।

18. उप मुखिया/उप सरपंच तथा प्रमुख/उप प्रमुख के निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं उत्तरदायित्वपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु प्रेक्षक नियुक्त किया जाय। इस हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

प्रेक्षक के रूप में संबंधित जिले के वरीय पदाधिकारियों यथा - उप विकास आयुक्त, अपर जिला दण्डाधिकारी या उप सचिव स्तर (वरीय तकनीकि पदाधिकारी स्तर सहित) के पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाय। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाईल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक 22.12.2021 तक उपलब्ध कराया जाय।

नियुक्त प्रेक्षक उप मुखिया/उप सरपंच तथा प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचन प्रक्रिया में परिलक्षित किसी अनियमितता को अविलम्ब जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)/प्रमंडलीय आयुक्त/राज्य निर्वाचन आयोग की दृष्टि में लाएँगे। मतदान एवं मतगणना संबंधी सभी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात प्रेक्षक अपना प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही प्रेक्षकों द्वारा आगमन/प्रस्थान संबंधी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित करेंगे।

19. अनुरोध है कि कृपया इस पत्र की पर्याप्त प्रतियां अपने स्तर पर तैयार कर सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों, प्रतिनियुक्त प्रेक्षकों तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध करा देने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-373/2021- 8964 पटना, दिनांक - 18.12.21

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

D:\pm5\P_E_Sanchalan_21/326

ज्ञापांक - पं0नि0 30-373/2021- 8964 पटना, दिनांक - 18.12.21

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-373/2021- 8964 पटना, दिनांक - 18.12.21

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने तथा उप मुखिया/उप सरपंच, प्रमुख/उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम

पद का नाम		सूचना निर्गत करने की अन्तिम तिथि	निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्धारित तिथि
1. उप मुखिया एवं उप सरपंच	–	20.12.2021 तक	24.12.2021 से 31.12.2021
2. पंचायत समिति प्रमुख	–	19.12.2021 तक	27.12.2021 से 03.01.2022
3. जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	–	19.12.2021 तक	27.12.2021 से 03.01.2022

सूचना

.... पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख/ .... जिला परिषद् के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष* हेतु किए गए निर्वाचन में श्री ...., श्री............ एवं श्री ....* को बराबर-बराबर .... मत प्राप्त हुए हैं। बराबर मत प्राप्त होने के कारण बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 98 के प्रावधानों के अधीन परिणाम का विनिश्चय लॉटरी द्वारा करने हेतु कार्रवाई तुरंत आरंभ की जा रही है। कृपया लॉटरी निकालने की प्रक्रिया के समय उपस्थित रहने का कष्ट करें।

दिनांक ....।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

उपस्थित सदस्यों /प्रत्याशियों के हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र–28

(नियम 122 (5) देखिये)

शपथ/प्रतिज्ञा पत्र

मैं .... ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूँ/ निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता/ करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा/ रखूँगी, अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए जो न्याय होगा वही करूँगा/ करूँगी और किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना से रहित, अपने कर्त्तव्य का, जिस पर आरूढ़ होने वाला/ वाली हूँ, श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा/ करूँगी। मैं कर्त्तव्य-पालन में अपेक्षानुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई बात जो मेरे विचाराधीन होगी या मुझे मालूम होगी, प्रकट नहीं करूँगा/ करूँगी।

स्थान –

तारीख –

शपथ ग्रहण/ प्रतिज्ञा कर्त्ता का हस्ताक्षर

विहित पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम की मुहर

शपथ-पत्र

``मैं .... (नाम एवं पदनाम)

आज दिनांक .... को .... के प्रांगण में
(कार्यालय जहाँ शपथ ली जा रही है)
सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा/करूँगी। मैं कर्त्तव्य पर उपस्थित रहूँ अथवा न रहूँ, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊँगा/होऊँगी। शराबबन्दी को लागू करने के लिए जो भी विधि-सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है, उसे करूँगा/करूँगी। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊँगा/जाऊँगी तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का/की भागीदारी बनूँगा/बनूँगी।

तिथि –

स्थान –

निर्वाचित ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी प्रतिनिधि का नाम –

....
(हस्ताक्षर)

पद का नाम –

निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जहाँ से निर्वाचित हुये हैं –

सम्पर्क नम्बर –

प्रभारी का प्रमाण-पत्र

मेरे समक्ष शपथ ली गयी।

हस्ताक्षर

मुहर

जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
का प्रतिवेदन प्रपत्र

[Under Section 125 (2)]

पंचायत समिति प्रमुख/उप प्रमुख तथा उप मुखिया/उप सरपंच का निर्वाचन

जिला – प्रखंड –

पद का नाम –

क्रमांक	विवरण	प्रतिवेदन
1.	निर्वाचन हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं ?	पत्रांक............ दिनांक ....
2.	प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है ?	
3.	सूचना प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को `प्रपत्र-24' में सूचना दिया जाना सुनिश्चित किया गया है ?	
4.	निर्वाची पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल संख्या –	
5.	नियुक्त प्रेक्षक का नाम, पदनाम एवं मोबाईल संख्या –	
6.	अभियुक्ति/ अन्यान्य –	

स्थान -
दिनांक -

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
का हस्ताक्षर

प्रेक्षक का प्रतिवेदन
[Under Section 128(3)]

(जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रखंड प्रमुख/उप प्रमुख/ग्राम पंचायत उप मुखिया/ग्राम कचहरी उप सरपंच का निर्वाचन)*

पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल संख्या –

जिला का नाम – **प्रखंड/पंचायत का नाम –** (जो लागू हो) **पद का नाम –**

क्रमांक	विवरण	प्रतिवेदन
1	क्या सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्धारित तिथि तक निर्वाचन हेतु स्थान एवं समय संबंधी सूचना दे दी गई है ?	सूचना की अन्तिम तिथि – निर्वाचन की तिथि –
2.	तामिला प्रतिवेदन संलग्न है अथवा नहीं ?	
3.	निर्वाची पदाधिकारी/ अध्यक्ष का नाम, पदनाम एवं मोबाईल संख्या	
4.	निर्वाचन स्थल पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पर्याप्त व्यवस्था की गई है ?	
5.	नव निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या –	
6.	उपस्थित निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या –	
7.	नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाये जाने के पश्चात शपथ-पत्रों पर हस्ताक्षर कराया गया ?	पदीय कर्त्तव्य का शपथ - नशा-मुक्ति का शपथ -
8.	अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ प्रमुख/ उप प्रमुख/ उप मुखिया/ उप सरपंच* निर्वाचन की प्रक्रिया आरम्भ होने का समय –	
9.	क्या उपस्थित सदस्यों को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया से भलीभाँति अवगत करायी गई ?	
10.	नामांकन दाखिल करने वाले प्रतिनिधि की संख्या –	
11.	संवीक्षोपरान्त अभ्यर्थियों की संख्या –	
12.	मतदान होने की स्थिति में मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या –	
13.	मतपत्र पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया गया है ?	
14.	लॉटरी की दशा में पर्ची निकालने हेतु अध्यक्ष द्वारा पूर्व से किसी पदाधिकारी/ कर्मचारी को नामित किया गया है ?	

क्रमांक	विवरण	प्रतिवेदन
15.	डाले गये मतों की कुल संख्या –	
16.	विधिमान्य मतों की कुल संख्या –	
17.	प्रक्षेपित मतों की कुल संख्या –	
18.	अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों की संख्या -	
19.	निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम एवं पता –	
20.	सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ प्रमुख/ उप प्रमुख/ उप मुखिया/ उप सरपंच* को शपथ करायी गई ?	तिथि .... समय ....
21.	सक्षम पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम –	
22.	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान सम्पन्न हुई ?	
23.	(i) सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी एवं रिकॉर्डिंग सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की गई है ? (ii) कमरा में CCTV कैमरा है एवं इसकी रिकॉर्डिंग की गई या नहीं ?	
24.	मतदान समाप्ति एवं मतगणना परिणाम के पश्चात सभी आवश्यक कागजात एवं वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग तथा CCTV Footage को सुरक्षित रखा गया ?	
25.	सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति का समय –	
26.	अभियुक्ति/ अन्यान्य –	

स्थान –

दिनांक – **प्रेक्षक का हस्ताक्षर**

* जो लागू नहीं है उसे काट दें।

प्रेक्षक के आगमन/प्रस्थान संबंधी प्रतिवेदन

(आगमन/प्रस्थान के तत्काल पश्चात भेजा जाए)

विवरण	प्रतिवेदन
1. प्रेक्षक का नाम –	
2. पदनाम –	
3. मोबाईल संख्या -	
4. जिला एवं प्रखंड का नाम -	
5. पद का नाम – (जिसके निर्वाचन के लिए प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त की गई है)	
6. आगमन का तिथि एवं समय –	
7. प्रस्थान की तिथि एवं समय	
8. क्या प्रक्षकीय कर्त्तव्य पर उपस्थिति में किसी प्रकार की देरी/विलम्ब हुआ	
9. यदि हाँ, तो कितना विलम्ब हुआ एवं उसका कारण	

स्थान -

तिथि -

प्रक्षेक का हस्ताक्षर

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक :- 9प/नशामुक्ति-09-11/21-6759 /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

उ.प. श्री दिनेश कुमार अवलोकनार्थ

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

सचिव रा०नि०आयोग

पटना, दिनांक 23/11/2021

विषय :- बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पदीय शपथ ग्रहण के साथ नशा विमुक्ति का भी शपथ लिये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उच्चस्तरीय निर्णय के आलोक में उल्लिखित है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पदीय शपथ ग्रहण कराये जाने की अनिवार्यता है, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से निर्धारित कार्यक्रमानुरूप शपथ ग्रहण सम्पादित किया जाना है।

चूँकि राज्य में नशा विमुक्ति अभियान के तहत सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए, उन्हें पदीय शपथ ग्रहण के साथ-साथ नशा विमुक्ति का भी शपथ ग्रहण कराया जाना आवश्यक है।

अतएव अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी को इस संबंध में अपेक्षित दिशा-निर्देश देने की कृपा की जाये।

19885
26.11.21

विश्वासभाजन

23/11/2021

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

प्रपत्र–3

आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

राज्य– बिहार

जिला परिषद अध्यक्ष पद

क्र0	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम		कोटि जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित है	महिला के लिए आरक्षित/अन्य
1	2		3	4
1	प0 चम्पारण (बेतिया)	BC	अनुसूचित जन–जाति	अन्य
2	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	BCW	अनारक्षित	महिला
3	शिवहर		अनारक्षित	अन्य
4	सीतामढ़ी	W	पिछड़ा वर्ग	अन्य
5	मधुबनी	BCW	अनारक्षित	महिला
6	शेखपुरा		अनारक्षित	अन्य
7	सुपौल	W	अनारक्षित	अन्य
8	अररिया	W	अनारक्षित	अन्य
9	किशनगंज		अनारक्षित	महिला
10	कटिहार	W	पिछड़ा वर्ग	अन्य
11	पूर्णिया	W	पिछड़ा वर्ग	अन्य
12	मधेपुरा		अनारक्षित	महिला
13	दरभंगा	BC	अनुसूचित जाति	महिला
14	मुजफ्फरपुर	BCW	अनुसूचित जाति	महिला
15	वैशाली	SC	पिछड़ा वर्ग	अन्य
16	गोपालगंज	W	अनारक्षित	अन्य
17	सिवान	BC	अनारक्षित	महिला
18	सहरसा		अनारक्षित	महिला
19	सारण	BC	अनारक्षित	महिला
20	लखीसराय		अनारक्षित	अन्य
21	समस्तीपुर	SCW	पिछड़ा वर्ग	महिला
22	बेगुसराय	W	अनुसूचित जाति	अन्य
23	खगड़िया		अनारक्षित	महिला
24	भागलपुर	W	अनारक्षित	अन्य
25	बांका	W	अनारक्षित	अन्य
26	मुंगेर		अनारक्षित	अन्य
27	नालन्दा	SC	अनारक्षित	महिला
28	अरवल		अनारक्षित	अन्य
29	पटना	SCW	पिछड़ा वर्ग	महिला
30	भोजपुर	W	अनुसूचित जाति	अन्य
31	बक्सर		अनारक्षित	महिला
32	रोहतास	W	अनुसूचित जाति	अन्य
33	कैमूर (भभुआ)		अनारक्षित	अन्य
34	जहानाबाद		अनारक्षित	अन्य
35	औरंगाबाद	SC	अनारक्षित	महिला
36	गया	SCW	पिछड़ा वर्ग	महिला
37	नवादा	W	अनुसूचित जाति	महिला
38	जमुई		अनारक्षित	महिला

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार, पटना

पत्रांकः–6प० / बि0प0नि0–11 / 2021 / 6697 / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

डॉ० रणजीत कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक

सेवा में,

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 22 / 11 / 2021

विषयः— बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर राज्य के विभिन्न प्रखंडों की पंचायत समितियों में प्रमुख के पद पर निर्वाचन के संबंध में।

प्रसंग :— उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का पत्रांक–6106, 6107 एवं 6108 दिनांक–28.10.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से कतिपय जिलों में कोटि विशेष के लिए आरक्षित कुछ पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के नगर निकाय में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप उस कोटि विशेष के लिए आरक्षित प्रमुख पद के निर्वाचन में संभावित कठिनाईयों के मद्देनजर प्रशासी विभाग से मार्गदर्शन संसूचित करने का अनुरोध किया गया है।

2. समस्तीपुर जिला अन्तर्गत पंचायत समिति समस्तीपुर, पटना जिला अन्तर्गत पंचायत समिति सम्पतचक और नालंदा जिला अन्तर्गत पंचायत समिति बिहारशरीफ के संबंध में क्रमशः निम्नलिखित स्थितियों का उल्लेख किया गया है :–

(i) पंचायत समिति, समस्तीपुर के प्रमुख का पद **पिछड़ा वर्ग महिला** के लिए आरक्षित है किन्तु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–19,28 एवं 29 के नगर निगम, समस्तीपुर में सम्मिलित हो जाने के कारण उक्त पंचायत समिति में पिछड़ा वर्ग महिला के लिए कोई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नहीं रह गया है। पिछड़ा वर्ग कोटि से किसी महिला पंचायत समिति सदस्य के उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्रमुख के चुनाव में तकनीकी समस्या उत्पन्न हो सकती है।

(ii) पंचायत समिति, सम्पतचक के प्रमुख का पद **अनारक्षित महिला** के लिए आरक्षित है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–1,4,5,6,7,8 एवं 9 के नगर परिषद, सम्पतचक में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप उक्त पंचायत समिति में अनारक्षित महिला के लिए कर्णांकित कोई पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र शेष नहीं है। अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित सीट से कोई महिला पंचायत समिति सदस्य उपलब्ध नहीं रहने के फलस्वरूप प्रमुख पद के निर्वाचन में कठिनाई हो सकती है।

(iii) पंचायत समिति, बिहारशरीफ के प्रमुख का पद **पिछड़ा वर्ग महिला** के लिए आरक्षित है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–2 के नगर निगम, बिहार शरीफ में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप उक्त पंचायत समिति में पिछड़ा वर्ग महिला के लिए एक मात्र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रह गया है जिसके कारण प्रमुख के पद पर निर्विरोध निर्वाचन संभावित है।

कृ०पृ०उ०

3. उक्त वर्णित स्थितियों पर विचारोपरान्त सरकार का निम्नलिखित निर्णय संसूचित किया जाता है :–

(i) किसी भी पंचायत समिति में सामान्य श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित श्रेणी को छोड़कर) अन्तर्गत अनुमान्य पदों में से 50 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए कर्णांकित रहते हैं। सामान्य श्रेणी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा उच्च जाति सहित किसी भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सकती है। यदि सामान्य कोटि से पिछड़ा वर्ग महिला की कोई एक या एक से अधिक अभ्यर्थी निर्वाचित होती हैं, तो वो पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित प्रमुख पद हेतु अपनी अभ्यर्थिता प्रस्तुत कर सकने की पूरी अधिकारिता रखती हैं। शर्त्त केवल यह है कि उसे पिछड़ा वर्ग की महिला सदस्य होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में प्रमुख, पंचायत समिति, समस्तीपुर के पद पर निर्वाचन हेतु कोई समस्या नहीं होना चाहिए।

(ii) अनारक्षित महिला के लिए कर्णांकित पंचायत समिति, सम्पतचक के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–1,4,5,6,7,8 एवं 9 के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी से निर्वाचित अन्य महिला के उपलब्ध रहने पर, चाहे वो किसी भी जाति की महिला हो, वह प्रमुख पद के लिए अपनी अभ्यर्थिता प्रस्तुत कर सकने की अधिकारिता रखती है। उसका महिला सदस्य के रूप में निर्वाचित होना ही पर्याप्त है।

(iii) स्पष्ट है कि पंचायत समिति, बिहारशरीफ में पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए एक आरक्षित सीट उपलब्ध है, जहाँ से कोई पिछड़ा वर्ग की महिला ही निर्वाचित होगी। इसके अतिरिक्त सामान्य कोटि से भी पिछड़ा वर्ग की एक या एक से अधिक महिला चुनाव जीतकर आ सकती है। पंचायत समिति, बिहारशरीफ के प्रमुख के लिए पिछड़ा वर्ग की कोई भी महिला, चाहे वह पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट से निर्वाचित हुई हो अथवा सामान्य सीट से, अपनी अभ्यर्थिता प्रस्तुत कर सकने की हकदार है। यदि सामान्य कोटि से कोई पिछड़ा वर्ग की महिला उपलब्ध नहीं भी होती है, तो कम से कम एक पिछड़ा वर्ग की महिला तो प्रमुख पद का चुनाव लड़ने हेतु उपलब्ध है। निर्वाचन निर्विरोध हो या सविरोध, उसे विधिमान्य निर्वाचन माना जायेगा।

इसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

22/11/21

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक:–6प० / बि0प0नि0–11 / 2021 / 6697 / पं०रा० पटना, दिनांक 22 / 11 / 2021

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं०) / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/21

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1932 (श0)
(सं0 पटना 638) पटना, मंगलवार, 31 अगस्त 2010

पत्र संख्या– विधि 60–36/2007–941

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

प्रेषक,

अहिभूषण पाण्डेय,

सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी–सह–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक 05 मई, 2010

विषय :–पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित विवादों के निपटारा के संबंध में।

प्रसंग :–आयोग का पत्रांक 861, दिनांक 03 जून 2009

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्रांक 861 दिनांक 03 जून 2009 का कृपया संदर्भ लिया जाय जिसके द्वारा पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन एवं इस निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद के निपटारे के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यक नियम एवं प्रक्रिया निरूपित की गयी है।

2. उक्त प्रांसगिक पत्र की कंडिका–19 (V) (च) में आयोग द्वारा तत्कालीन वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण दिया गया था। वर्तमान में बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा–16 में संशोधन कर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–135 में उल्लिखित निरर्हताओं के विनिश्चयन की शक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त को प्रदत्त की गयी है। अतः अधिनियम में उक्त संशोधन के फलस्वरूप आयोग द्वारा निर्गत प्रासंगिक पत्रांक 861, दिनांक 03 जून 2009 की कंडिका–19 (V) (च) में खण्ड वाक्य "किन्तु इस आधार पर उसकी सदस्यता रद्द करने का अधिकार सक्षम व्यवहार न्यायालय को है" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

"संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के पश्चात् उसकी सदस्यता रद्द करने हेतु मामला राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार को भेजा जा सकेगा।"

3. पंचायत समिति के प्रमुख एवं जिला परिषद् के अध्यक्ष का पद आरक्षित कोटि के होने की स्थिति में नामांकन के समय जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने की बाध्यता के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षित कोटि से निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद् के सदस्य का जाति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उनके निर्वाचन प्रमाण पत्र (प्रपत्र–22) या निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन (प्रपत्र–23) की अभिप्रमाणित छायाप्रति को भी आधार माना जा सकेगा। अनारक्षित पद से निर्वाचित आरक्षित कोटि के सदस्यों को नामांकन के साथ जाति प्रमाण पत्र मूल में संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

विश्वासभाजन

(ह0)–अस्पष्ट,

सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 638-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी०टी०-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1932 (श०)
(सं० पटना 639) पटना, मंगलवार, 31 अगस्त 2010

पत्र संख्या– विधि 60–36/2007–861

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

प्रेषक,

अहिभूषण पाण्डेय,
सचिव।
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक 03 जून, 2009

विषय :–पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित विवादों के निपटारा के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार आयोग के पत्रांक 1420 दिनांक 02.06.2009 एवं सी०– 2090 दिनांक 11 अगस्त 2006 का कृपया संदर्भ करें जिनके द्वारा पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन एवं इस निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद के निपटारे के संबंध में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए आयोग द्वारा विस्तृत दिशा–निदेश दिए गए हैं।

2. आयोग के पत्रांक सी०–2090, दिनांक 11 अगस्त 2006 की कंडिका–6 में आयोग का निदेश था कि प्रमुख उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन संपन्न हो जाने के पश्चात इस निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद के निपटारे के लिए अधिनियम की धारा 137 के अंतर्गत चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। सी०डब्लू०जे०सी० संख्या– 9830/2006 (विजय कापरी बनाम राज्य एवं अन्य) में दिनांक 15 अप्रील 2009 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय दिया गया है कि प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचन से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 137 के अंतर्गत चुनाव याचिका दायर करने का प्रावधान नहीं है, बल्कि इन मामलों का निपटारा अधिनियम की धारा 40 (4) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियम के अनुसार ही किया जा सकता है। माननीय न्यायालय का निदेश है कि अधिनियम की धारा 40 (4) के अंतर्गत निहित शक्तियों से आयोग शीघ्र ही ऐसे मामलों के निपटारे हेतु नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करें।

3. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 40 (4) निम्नवत है :–

"प्रमुख और उप प्रमख का चुनाव, उपर्युक्त पदों की रिक्तियों को भरने और ऐसे चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविहित नियमों अथवा प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा"

इस अधिनियम की धारा 67 (4) निम्नवत है :–

"किसी जिला परिषद् के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और उपर्युक्त पदों की रिक्तियों को भरने तथा ऐसे निर्वाचन से सम्बद्ध विवादों का निपटारा राज्य रिर्वाचन आयोग द्वारा यथा विहित नियमों या प्रक्रियाओं के अनुसार किया जायेगा।"

4. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्याय निर्णय के आलोक में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 40 (4) के अंतर्गत किसी पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख के चुनाव इन पदों पर रिक्तियों को भरने एवं ऐसे चुनाव से संबंधित विवादों के निपटारे तथा अधिनियम की धारा 67 (4) के अंतर्गत किसी जिला परिषद् के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन, इन पदों पर रिक्तियों को भरने तथा ऐसे निर्वाचन से सम्बद्ध विवादों के निपटारारा हेतु आयोग द्वारा निम्ल नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(1) प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के सामान्य निर्वाचन हेतु कार्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। समय–समय पर विभिन्न कारणों यथा मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्यूति आदि के कारण रिक्त हुए पदों पर भी निर्वाचन कार्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति की सूचना जिला दंडाधिकारी द्वारा आयोग को रिक्ति होने के अधिकतम एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निदेशन के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 40 (1) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 87 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के प्रमुख/ उप प्रमुख के निर्वाचन के निमित्त पंचायत समिति तथा उक्त अधिनियम की धारा 67 (1) एवं उक्त नियमावली के नियम 87 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन के निमित्त जिला परिषद की बैठक की तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण कर संबंधित सदस्यों को संसूचित किया जायेगा। उक्त नियमावली के नियम 88 के अंतर्गत पंचायत समिति की ऐसी बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तथा जिला परिषद की ऐसी बैठक की अध्यक्षता जिला दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा। उक्त नियमावली के नियम 87 से नियम 102 तक निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पंचायत समिति प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न किया जायेगा।

(3) (i) प्रमुख/ उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु जिला दण्डाधिकारी द्वारा आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निदेशन के अधीन तिथि, समय एवं स्थान की सूचना यथास्थिति पंचायत समिति/ जिला परिषद के सभी निर्वाचित सदस्यों को प्रपत्र–24 में उचित समय पर जो निर्वाचन की तिथि से कम–से–कम पाँच दिन पूर्व होगी, दी जायेगी। बैठक में भाग लेने की सूचना केवल निर्वाचित सदस्यों को ही दी जायेगी, पदेन सदस्यों को नहीं दी जायेगी। स्पष्ट किया जाता है कि प्रमुख/ उप प्रमुख के निर्वाचन में पंचायत समिति एवं अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन में जिला परिषद् के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, गैर निर्वाचित सदस्यों को इनके चुनाव में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है।

(ii) आम निर्वाचन की स्थिति में इस बैठक में सर्वप्रथम यथास्थिति अनुमंडल दंडाधिकारी/ जिला दंडाधिकारी द्वारा पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों/ जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों को प्रपत्र 28 में शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इसके तुरंत बाद नियमावली के नियम 88 से 102 के आलोक में प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में केवल नियमावली के नियम 88 से 102 के आलोक में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा।

(iii) प्रमुख एवं उप प्रमुख के लिए अलग–अलग प्रपत्र– 25 में नामांकन पत्र लिए जाएंगे। दोनों पदों के लिए एक ही दिन निर्वाचन संपन्न कराये जाने की स्थिति में पहले प्रमुख के पद के लिए नामांकन लिया जाएगा तथा निर्वाचन कराया जाएगा। प्रमुख का निर्वाचन परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात उप प्रमुख के लिए नामांकन पत्र प्राप्त किया जाएगा तथा प्रमुख के निर्वाचन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही उसका निर्वाचन कराया जाएगा।

(iv) इसी प्रकार जिला परिषद् के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए भी अलग–अलग, नामांकन पत्र लिए जाएंगे। पहले अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन लिया जाएगा तथा निर्वाचन कराया जाएगा। अध्यक्ष का निर्वाचन परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात उपाध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र प्राप्त किया जाएगा तथा अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु अपनायी गई प्रक्रिया के अनुसार ही उसका निर्वाचन कराया जाएगा।

(v) पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार के प्रस्तावक/ समर्थक के संबंध में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

(क) पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख पद के अभ्यर्थी का प्रस्तावक या समर्थक संबंधित पंचायत समिति का कोई सदस्य तथा जिला परषिद् के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पद क अभ्यर्थी का प्रस्तावक या समर्थक संबंधित जिला परिषद् का कोई सदस्य ही हो सकता है।

(ख) पंचायत समिति के सदस्य यदि वे स्वयं प्रमुख पद के उम्मीदवार हैं तो वे किसी दूसरे सदस्य जो प्रमुख पद के उम्मीदवार हैं, के प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार जिला परिषद् के सदस्य यदि वे स्वयं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं तो वे किसी दूसरे सदस्य जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, के प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकते हैं।

(ग) कोई भी सदस्य किन्हीं दो विभिन्न सदस्यों जो एक ही पद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा प्रमुख या उप प्रमुख के उम्मीदवार हैं, के प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकते हैं अर्थात कोई भी सदस्य किसी पद विशेष के एक उम्मीदवार का ही प्रस्तावक या समर्थक हो सकता है।

(घ) उसी प्रकार पंचायत समिति के उप प्रमुख या जिला परिषद् के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार किसी दूसरे सदस्य जो उप प्रमुख या उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, के प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकते हैं।

(ङ) निर्वाचित अभ्यर्थियों को अध्यक्ष द्वारा प्रपत्र 22 में प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(4) स्पष्ट किया जाता है कि पंचायतों के आम निर्वाचन के पश्चात् प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बुलाई गई बैठक में विचारार्थ सिर्फ दो ही मुद्दे होंगे, यथा (क) निर्वाचित सदस्यों को शपथ/ प्रतिज्ञा कराना तथा (ख) यथास्थिति प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराना। उक्त बैठक के लिए अन्य कोई भी मुद्दा विचारणीय नहीं रखा जाएगा। आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में निर्वाचन हेतु बुलाई गई बैठक में केवल संबंधित पद का निर्वाचन कराया जाएगा।

(5) निर्वाचन स्थल के इर्द–गिर्द अवांछनीय व्यक्तियों को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख/उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन की स्वच्छता बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि सभी निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पसन्द के उम्मीदवार के पक्ष में मत डालें। प्रमुख और अध्यक्ष के चुनाव में दबंग प्रत्याशियों द्वारा धनबल एवं बाहुबल का प्रयोग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर उक्त पदों के निर्वाचन हेतु सूचना निर्गत किए जाने के पश्चात जिला दंडाधिकारी/ अनुमंडल दंडाधिकारी को संपुष्ट जानकारी प्राप्त होती है कि उक्त पदों के किसी उम्मदवार द्वारा अपने पक्ष में मतदान कराने अथवा अपने प्रतिद्वन्दी के विरोध मत में डालने के लिए सदस्यों को दुष्प्रेरित किया जा रहा है अथवा धनबल या बाहुबल का सहारा लिया जा रहा है, तो वे अविलंब इसका संज्ञान लेंगे तथा जाँच पड़ताल के पश्चात बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं के अधीन ऐसे व्यक्तियों के विरूद्व मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक हॉल के अन्दर किसी सदस्य द्वारा अव्यवस्था फैलाने तथा तनाव पैदा करने की स्थिति में उन्हें हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा तथा गिरफ्तार भी किया जाएगा। आयोग की मंशा है कि प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हो। इस उद्देश्य से पूरे निर्वाचन प्रक्रिया की विडियो रिकॉर्डिंग भी अवश्य कराई जाए।

(6) संभव है कई निर्वाचित सदस्यों को यथास्थिति प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो। अतएव प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वचन के पहले उपस्थित सभी सदस्यो को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी/ प्रशिक्षण अनुमंडल पदाधिकारी/ जिला दण्डाधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए। उन्हें प्रपत्र 25 (नाम निर्देशन पत्र) तथा प्रपत्र 26 (मतपत्र) की एक खाली प्रति दी जाएगी तथा जानकारी दी जाएगी कि नाम निर्देशन पत्र में क्या–क्या अंकित करना है। उन्हें यह भी जानकारी दी जाएगी कि मतपत्र में अंकित अभ्यर्थियों में से अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम में किस प्रकार से क्रॉस चिन्ह लगाया जाएगा। उनकी सुविधा के लिए मतपत्र में ऐसे काल्पनिक नाम अंकित किए जाएंगे जो निर्वाचित सदस्यों में से किसी का नह हो और उन्हें समझा दिया जाएगा कि वे यदि अभ्यर्थी "क" के पक्ष में वोट देना चाहते हैं तो उनके नाम के सामने अंकित स्थान में क्रॉस चिन्ह लगाएं। क्रॉस चिन्ह किस प्रकार लगाया जाएगा, इसका प्रदर्शन (Demonstration) ब्लैकबोर्ड या कागज के पन्ने के माध्ये से कराया जा सकता है।

(7) प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु बुलाई गई बैठक में भाग लने वाले उपस्थित सभी निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति ली जाएगी तथा बैठक की कार्यवाही अंकित की जाएगी जिसपर बैठक के अध्यक्ष सहित सभी उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा।

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि उपर्युक्त बैठकों के लिए जो नोटिस जारी की जाएगी उसमें बैठक की तिथि, समय और स्थान स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो ताकि किसी भी सदस्य को बैठक में भाग लेने में किसी प्रकार की भ्रान्ति न होने पाए।

प्रमुख/ उप प्रमुख के शपथ ग्रहण एवं निर्वाचन हेतु बैठक प्रखण्ड मुख्यालय में प्रखण्ड कार्यालय अथवा अन्य उपयुक्त भवन में तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण एवं निर्वाचन हेतु बैठक जिला मुख्यालय में उपयुक्त भवन/ परिसर में आयोजित की जाएगी। संबंधित स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाएगी।

(8) प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन में सदस्यों के निरक्षर होने की स्थिति में उनके द्वारा मताधिकार का प्रयोग निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जा सकेगा :–

(i) निरक्षर निर्वाचित सदस्यों को उनके द्वारा मताधिकार के प्रयोग में सहायतार्थ उनकी इच्छानुसार एक अवयस्क व्यक्ति (पुरूष या स्त्री), जिनपर उन्हें पूर्ण विश्वास हो, साथ रखने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) ऐसा अवयस्क व्यक्ति संबंधित निरक्षर उम्मीदवार को यथास्थिति प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पद के लिए बनाए गए मतपत्रों में अंकित उम्मीदवारों का नाम पढ़कर उन्हें बताएगा तथा उनकी इच्छानुसार अभ्यर्थी के नाम के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाकर मताधिकार का प्रयोग करने में सहायता प्रदान करेगा।

(9) जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जो अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से अन्यून हो, पंचायत समिति के सदस्य, प्रमुख एवं उप–प्रमुख को तथा जिला दंडाधिकारी जिला परिषद् के सदस्य, अध्यक्षएवं उपाध्यक्ष को शपथ– ग्रहण/ प्रतिज्ञा करायेगा।

(10) शपथ– ग्रहण/ प्रतिज्ञा प्रपत्र 28 में कराया जायेगा।

(11) शपथ ग्रहण/ प्रतिज्ञा करने वाले पदधारकों की सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित की जायेगी।

(12) प्रमुख/उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन में संभावित विवादों से बचने हेतु आयोग के निम्न दिशा–निदेश संसूचित किये जाते हैं जो भविष्य में इन चुनावों के लिए प्रभावी होगा:–

(i) बैठक आरम्भ होने का जो समय सूचना पत्र (प्रपत्र 24) में अंकित किया गया है, उसके बाद एक घंटे के भीतर आने वाले निर्वाचित सदस्यों को बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया आरम्भ हो जाने के पश्चात, विलम्ब से ओने वाले किसी भी सदस्य को बैठक में भाग लेने की अनुमति नही दी जाएगी।

(ii) अगर बैठक आरम्भ होने के पूर्व यथास्थिति अनुमंडल दंडाधिकारी/ जिला दंडाधिकारी को यह सूचना प्राप्त होती है कि किसी सदस्य अथवा सदस्यों को बैठक में आने से बलपूर्वक रोका जा रहा है, तो यथासंभव उक्त सूचना के सत्यापन हेतु त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भी संभव है कि कुछ सदस्य अपनी इच्छा से बैठक में नहीं आना चाहते हों। उत: ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के पूर्व

अत्यधिक सतर्कता एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सूचना संपुष्ट हो जाने पर आरोपित व्यक्तियों के विरूद्ध जिला दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा तुरन्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(iii) अगर किसी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा बैठक में यह लिखित शिकायत की जाती है कि उनपर किसी प्रत्याशी के पक्ष अथवा विपक्ष में मतदान करने हेतु दवाब बनाया गया है, तो निर्वाचन की प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात आरोपित व्यक्ति के विरूद्ध संगत वैधानिक प्रावधानों के अधीन कार्रवाई करने का निदेश अध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा, भले ही वह प्रत्याशी चुनाव जीत जाए अथवा हार जाए।

(iv) मतों की गिनती सभी सदस्यों के समक्ष की जाएगी। जो सदस्य मतपत्र दोबारा देखना चाहें, उन्हें अध्यक्ष द्वारा मतपत्र दिखलाया जा सकेगा पर किसी भी स्थिति में मतपत्र उनके हाथ में नहीं दिया जाएगा। अगर किसी मतपत्र में "X" का निशान प्रत्याशी के नाम के सामन विहित स्तम्भ में अंकित नहीं कर प्रत्याशी के नाम पर या उसके बगल में अंकित कर दिया गया है, तथा जिससे यह स्पष्ट होता है कि मतदाता ने उसके पक्ष में मतदान किया है, तो ऐसे मतों को अविधिमान्य (Invalid) नहीं मानकर विधिमान्य (Valid) माना जाएगा। किन्तु, अगर "X" का चिन्ह इस प्रकार लगाया गया हो कि यह निश्चत नहीं हो सके कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है या "X" का चिन्ह एक से अधिक प्रत्याशी के नाम पर या उसके सामने लगाया गया है या "X" का चिन्ह कहीं नहीं लगाया गया है, तो ऐसे मतपत्रों को अविधिमान्य कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी तर्क की गुंजाईश नहीं होगी।

(v) अगर मतों की गणना के पश्चात कोई प्रत्याशी पुनर्गणाना का अनुरोध करता है तो उसे तुरंत मान लिया जाना चाहिए तथा सभी सदस्यों के समक्ष पुनर्गणना करा देनी चाहिए। दोबारा पुनर्गणना का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(13) लॉटरी निकालने की प्रक्रिया निम्नवत पूरी की जायेगी :–

(i) सर्वप्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी (यथास्थिति अनुमंडल दंडाधिकारी अथवा जिला दंडाधिकारी) द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों/ प्रत्याशियों को संलग्न प्रपत्र में सूचना देकर यह बतलाया जाएगा कि फलांफलां प्रत्याशियों को बराबर–बराबर मत (मतों की संख्या अंकित की जाएगी) प्राप्त होने के कारण लॉटरी द्वारा परिणाम निकालने की कार्रवाई तुरंत शुरू की जा रही है। सूचना पत्र पर सभी उपस्थित सदस्यों/ प्रत्याशियों को हस्ताक्षर ले लिया जाएगा।

(ii) लॉटरी के लिए सफेद कागज की पर्ची का प्रयोग किया जाएगा। पर्ची के कागज का साईज ए–4 साईज के कागज का चौथाई हिस्सा का (1/4वां) होगा। प्रत्येक पर्ची समान साईज की होगी। साईज में तनिक भी अंतर नहीं होगा। पर्ची बिल्कुल सादी (Blank) होगी तथा सादी पर्ची उपस्थित सभी सदस्यों/ प्रत्याशियों को अध्यक्ष द्वारा दिखला दी जाएगी ताकि यह संदेह न हो कि पर्ची पर पहले से कुछ लिख हुआ है। प्रत्येक पर्ची पर अध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रत्याशी का नाम काले रंग से स्केच पेन से लिखा जाएगा तथा प्रत्येक पर्ची पर निचले हिस्से में तिथि सहित अपना अस्ताक्षर किया जाएगा। जितने प्रत्याशियों के बीच लॉटरी निकाली जानी है, पर्ची की संख्या उतनी ही रखी जाएगी। अर्थात अगर दो प्रत्याशियों को समान संख्या में मत मिलें हों, तो उन दोनों के बीच लॉटरी निकालने हेतु मात्र दो पर्चियों और अगर तीन प्रत्याशियों को समान मत मिले हों तो लॉटरी निकालने हेतु मात्र तीन पर्चियों का उपयोग किया जाएगा। दो प्रत्याशियों के मामले में एक पर्ची पर पहले प्रत्याशी का नाम एवं दूसरी पर्ची पर दूसरे प्रत्याशी का नाम अध्यक्ष द्वारा लिखा जाएगा। इसी प्रकार तीन प्रत्याशियों के मामले में तीन अलग–अलग पर्ची पर पहले, दूसरे एवं तीसरे प्रत्याशी का नाम लिखा जाएगा। पर्चियों में नाम लिखने के पश्चात अध्यक्ष द्वारा सभी पर्चियां उपस्थित सदस्यों/ प्रत्याशियों को प्रदर्शित की जाएंगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रत्येक पर्ची में अलग–अलग प्रत्याशी के नाम अंकित हैं, किसी एक प्रत्याशी का नाम दो या अधिक पर्चियों में अंकित नहीं किया गया है। पर्चियों का प्रदर्शन कर देने के पश्चात अध्यक्ष प्रत्येक पर्ची को चार फोल्ड में मोड़कर वहाँ उपस्थित किसी सदस्य को, जो प्रत्याशी नहीं होगा, उन पर्चियों को वहाँ विशेष रूप से रखे गए एक छोटे अपारदर्शी डिब्बे में रखने हेतु कहेगा। डिब्बे में पर्चियों को रखे जाने के पहले डिब्बा सभी सदस्यों/ प्रत्याशियों को दिखला दिया जाएगा कि वह पूर्णतः खाली है एवं उसमे पहले से कोई पर्ची आदि नहीं रखी हुई है। डिब्बे में पर्चियों को रख देने के पश्चात उस सदस्य द्वारा डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा।

(iii) लॉटरी के लिए पर्ची निकालने हेतु ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो पर्ची बनाए जाने, उस पर नाम लिखे जाने, फोल्ड करने तथा डिब्बे में बंद किए जाने के समय वहाँ मौजूद नहीं रहा हो। स्पष्टतः वह व्यक्ति अध्यक्ष अथवा बैठक कक्ष में मौजूद कोई सदस्य या प्रत्याशी नहीं होगा। लॉटरी निकालने हेतु अध्यक्ष अपने कार्यालय से किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को पूर्व से नामित कर देगा तथा उसे पर्ची बनाने तथा फोल्ड करने के पूर्व बाहर रहकर प्रतीक्षा करने को कहेगा।

(iv) डिब्बे में पर्चियों को बंद हो जाने के पश्चात उस नामित व्यक्ति को अंदर बुलाया जाएगा तथा उसे अध्यक्ष द्वारा कहा जाएगा कि वह डिब्बे को अच्छी तरह हिलाकर उसे खोले एवं उसमें से कोई एक पर्ची बाहर निकाले।

(v) नामित व्यक्ति अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों/ प्रत्याशियों के समक्ष डिब्बे में से कोई एक पर्ची बाहर निकालकर उसे खोलेगा, उसमें अंकित नाम को जोर से पढ़ेगा ताकि सभी सुन लें तथा पर्ची को अध्यक्ष को सौंप देगा। अध्यक्ष उस पर्ची के नीचे निर्वाचित लिख कर तिथि एवं समय सहित पुनः अपना हस्ताक्षर करेगा तथा उस प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित करते हुए निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।

(vi) निर्वाचन परिणाम घोषित कर देने के पश्चात सभी पर्चियों को अध्यक्ष द्वारा एक लिफाफे में सीलबन्द कर निर्वाचन अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।

(vii) पर्ची बनाने से लेकर निर्वाचन परिणाम घोषित करने तक की पूरी कार्यवाही की विडियोग्राफी की जाएगी तथा इसे अभिलिखित भी किया जाएगा। कार्यवाही के अंत में उस पर अध्यक्ष के साथ–साथ लॉटरी निकालने वाले व्यक्ति तथा उपस्थित सदस्यों/ प्रत्याशियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

(viii) किसी भी स्थिति में लॉटरी निकालने का काम स्थगित नहीं किया जाएगा। लॉटरी के परिणाम से व्यथित व्यक्ति/ व्यक्तियों को दोबारा लॉटरी निकालने की माँग करने का अधिकार नहीं होगा, और अगर ऐसा कोई अनुरोध फिर भी किया जाता है अध्यक्ष द्वारा उसे तुरन्त अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(14) यह स्पष्ट किया जाता है कि मतदाता के निरक्षर रहने की स्थिति में उनके मताधिकार के प्रयोग में सहायतार्थ उसकी इच्छानुसार एक अवयस्क व्यक्ति (पुरूष या स्त्री) साथ रखने की अनुमति दी जाएगी जो उसे (मतदाता को) मतपत्र में अंकित उममीदवारों का नाम पढ़कर सुनाएगा तथा उसकी इच्छानुसार प्रत्याशी के नाम के सामने "X" का चिन्ह लगाएगा। यह सुनिश्चित करना अध्यक्ष की जबावदेही है कि संबंधित मतदाता के साथ जाने वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति में वयस्क नहीं हो, भले ही वह उसका पुत्र/ पुत्री अथवा अन्य विश्वस्त व्यक्ति हो। अध्यक्ष द्वारा निरक्षर मतदाता के सहयोगी के रूप में किसी वयस्क व्यक्ति को मतदाता के साथ मतदान प्रकोष्ठ में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तथाउसे किसी अवयस्क व्यक्ति को लाने कहा जाएगा अन्यथा उसे मताधिकार का प्रयोग बिना किसी सहयोगी के करना होगा।

उपुर्यक्त शर्तें किसी अंधे अथवा शारीरिक रूप से अशक्त मतदाता के संबंध में भी लागू होंगी।

(15) प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु प्राप्त नाम निदेर्शन पत्रों की संवीक्षा, विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची, मतपत्र निर्गत करने तथा मतगणना करने, मतपत्रों को अविधिमान्य घोषित करने तथा परिणाम घोषित करने बैठक की कार्यवाही का अभिलेख तैयार करने आदि की पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्ष को सौंपी गई है। ये सारे कार्य अध्यक्ष अकेले नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने सहायतार्थ एक या दो अधिकारियों को रखने की जरूयरत हो सकती है। ये अधिकारी ऐसे होने चाहिए जो विवादित नहीं हो तथा स्वच्छ छवि रखते हों।

प्रमुख के चुनाव में अध्यक्ष (अनुमंडल दंडाधिकारी) के सहायतार्थ उस प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी या अन्य किसी पदाधिकारी/ कर्मचारी को किसी भी स्थिति में नहीं लगाया जाएगा, अध्यक्ष अपने अनुमंडल अथवा दूसरे प्रखण्डों में पदस्थापित अधिकारियों को अपनी सहायता करने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे। प्रमुख/ उप प्रमुख का निर्वाचन अनुमंडल दंडाधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है और एक दिन में एक एक प्रखंड अथवा अधिकतम दो प्रखडों में ही चुनाव कराना व्यवहार के रूप से संभव है। ऐसी स्थिति में किसी प्रखण्ड विशेष में चुनाव के दिन अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत दूसरे प्रखण्ड के अधिकारियों/ कर्मियों की सेवा प्राप्त करने में अनुमंडल दंडाधिकारी को कोई कठिनाई नहीं होगी।

अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के चुनाव में जिला दंडाधिकारी अपने सहायतार्थ ऐसे अधिकारियों/ कर्मियों को रख सकेंगे जो जिला परिषद् से संबंधित नहीं हो, अर्थात जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अथवा जिला अभियंता अथवा अन्य पदाधिकारी/ कर्मी अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्त नहीं किए जाएंगे।

जिस कक्ष में निर्वाचन संबंधी बैठक चल रही हो, वहां कोई आरक्षी पदाधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे। विधि व्यवस्था के संधारण हेतु प्रतिनियुक्त आरक्षी पदाधिकारी/ आरक्षी बल बैठक कक्ष के बाहर रहेंगे तथा सामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा आदेश दिए जाने पर ही बैठक कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।

(16) पंचायत समिति के प्रमुख एवं जिला परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित एवं संसूचित आरक्षण के अनुसार ही संपन्न कराया जाएगा। स्पष्ट किया जाता है कि पंचायत समिति के उप प्रमुख एवं जिला परिषद के उपाध्यक्ष के पदों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है।

(17) स्पष्ट किया जाता है कि पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख एवं जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित सदस्यों से ही प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न होगा। इसके लिए किसी गणपूर्ति (कोरम) की आवश्यकता नहीं है।

(18) पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख एवं जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में अपरिहार्य कारणवश कोई परिवर्तन आयोग की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(19) पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख एवं जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन में उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसरण करने से निर्वाचन संबंधी विवाद उत्पन्न होने की संभावना कमतर होगी। फिर भी निर्वाचन परिणाम घोषित हो जाने पर उसकी वैधता के बिन्दु पर विवाद होने पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, (यथा संशोधित) 2006 की धारा 40 (4) एवं 67 (4) के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा क्रमशः पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख के निर्वाचन संबंधी विवाद के निपटारे हेतु संबंधित जिला के जिला दण्डाधिकारी तथा जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद के निपटारे हेतु संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को प्राधिकृत किया गया है। पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख के निर्वाचन से विक्षुब्ध पक्ष संबंधित जिला दण्डाधिकारी तथा जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन से विक्षुब्ध पक्ष संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष निर्वाचन समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर परिवाद दर्ज करा सकते हैं।

(i) परिवाद के पक्षकार :– प्रार्थी अपने परिवाद पत्र में प्रत्यर्थी के रूप में अन्य सभी अभ्यर्थियों को जोड़ेगा जिन्होंने निर्वाचन मं भाग लिया था या जिनके कारण से वह निर्वाचन प्रभावित समझता हो।

(ii) परिवाद पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों के कथन को समाविष्ट किया जाएगा जिन पर प्रार्थी निर्भर करता हो।

(iii) परिवाद पत्र एवं उसकी कोई अनुसूची या अनुलग्नक को भी आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और सत्यापित किया जायेगा।

(iv) परिवाद पत्र की सुनवाई :– जिला पदाधिकारी/ प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुए यथाशीघ्र ऐसे मामलों की सुनवाई की जायेगी एवं समुचित जाँचोपरांत परिवाद दायर किये जाने की तिथि से अधिकतम दो माह के अन्दर युक्तियुक्त आदेश पारित किया जायेगा जिसकी एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजी जायेगी।

(v) पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन रद्द करने के आधार :–

(क) अध्यक्ष द्वारा किसी नामांकन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया गया हो।

(ख) बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006/ बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस पत्र में निर्धारित प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया अपना कर प्रमुख/ उप प्रमुख तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराया गया हो।

(ग) मत बराबर होने की स्थित में आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से लॉटरी नहीं निकालकर मनमानी किया गया हो।

(घ) अध्यक्ष अथवा बैठक में उपस्थित किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी द्वारा मनमाने एंग से निर्वाचन का संचालन किसी प्रत्याशी विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया हो।

(ड.) निरक्षर, अंधा या शारीरिक रूप से अशक्त किसी सदस्य को उनके मताधिकार के प्रयोग में सहायतार्थ किसी अवयस्क आदमी को नहीं देकर व्यस्क आदमी को दिया हो।

(च) पंचायत समिति के प्रमुख एवं जिला परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित एव संसूचित आरक्षण से भिन्न कोटि के उम्मीदवार का निर्वाचन किया गया हो। स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा पंचायत समिति/ जिला परिषद सदस्य के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर संबंधित प्राधिकार द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है, किन्तु इस आधार पर उसी सदस्यता रद्द करने का अधिकार सक्षम व्यवहार न्यायालय का ही है। अतः आरक्षित कोटि से भिन्नता निर्विवाद रूप से स्पष्ट होने पर ही इस आधार पर निर्वाचन रद्द किया जा सकेगा।

(छ) पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कराया गया हो।

(vi) परिवाद पत्र की सुनवाई एवं जाँच में यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वैध मत को अवैध या अवैध मत को वैध करार देने या मतगणना की त्रुटि से चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ है तो यथास्थिति जिला दण्डाधिकारी/ प्रमंडलीय आयुक्त पूर्व परिणाम को रद्द कर प्रार्थी को निर्वाचित घोषित कर सकते हैं।

(vii) आवश्यकता महसूस होने पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला दण्डाधिकारी/ प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश से संबंधित अभिलेखों को मंगा कर अवलोकन किया जा सकता है एवं ऐसा पाया जाता है कि उक्त पारित आदेश के पुनर्रीक्षण का पर्याप्त कारण है तो संबंधित पक्षकारों को सूचना देकर एवं सुनवाई कर आयोग द्वारा युक्तियुक्त आदेश पारित किया जा सकता है।

5. पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख तथा जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु आयोग के उक्त दिशा–निदेश बिहार पंचायत राज अधिनियम (यथा संशोधित), 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली (यथा संशोधित), 2006 के प्रावधानों के अनुरूप बनाये गये हैं। इनके क्रियान्वयन में कोई कठिनाई या भ्रम उत्पन्न होने पर आयोग से स्पष्टीकरण/ निदेश प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

6. अनुरोध है कि इस पत्र की पर्याप्त प्रतियाँ अपने स्तर पर तैयार कर सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध करा देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
(ह0)/–अस्पष्ट,
सचिव।

सूचना

.... पंचायत समिति के प्रमुख/ उप प्रमुख/.................................. जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष* हेतु किए गए निर्वाचन में श्री .... श्री .... एवं श्री ....* को बराबर–बराबर .... मत प्रापत हुए हैं। बराबर मत प्राप्त होने के कारण बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 98 के प्रावधानों के अधीन परिणाम का विनिश्चय लॉटरी द्वारा करने हेतु कार्रवाई तुरन्त आरंभ की जा रही है। कृपया लॉटरी निकालने की प्रक्रिया के समय उपस्थित रहने का कष्ट करें।

दिनांक ....।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

उपस्थित सदस्यों/ प्रत्याशियों के हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 639-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in